



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 01, 2015/पौष 11, 1936
No. 02]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 01, 2015/PAUSA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2014

सा. का. नि. 02(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) तीसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में—

(क) मूल नियम के नियम 10 में, उपनियम 1(क) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

“यह उपबंध सभी टोल प्लाजाओं पर प्रयोज्य होगा।”

[फा. सं. एच-25016/01/2014-टोल]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), नियम 2008 भारत के राजपत्र, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा. का. नि. सं. 838(अ), को तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और सा. का. नि. सं. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा. का. नि. सं. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा. का. नि. सं. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा. का. नि. सं. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा. का. नि. सं. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, तथा सा. का. नि. सं. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2014

G.S.R. 02(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 read with Sub-section (1) of section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Third Amendment Rules 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules),-

in rule 10 of the principal rule after sub-rule 1(A) the following provision shall be inserted.

“ This provision shall be applicable on all Toll plazas.”

[F. No. H-25016/01/2014-Toll]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Foot Note :— The National Highways Fee (Determination of Rates and Collections) Rules, 2008 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended *vide* G.S.R. No. 950(E) dated 3rd December, 2010 G.S.R. No. 15(E) dated 12th January, 2011 and G.S.R. No. 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R. No. 788(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. No. 26(E) dated 16th January, 2014 and G.S.R. No. 831(E) dated the 21st November, 2014.